



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

03 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 220 राँची, सोमवार,

22 मार्च, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

21 नवम्बर, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-21/2015 का०- 9253-- श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 645/03, गृह जिला- राँची) के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-834/गो०, दिनांक-17.04.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-‘क’ में श्री नायक के विरुद्ध निम्नवत् आरोप हैं:-

आरोप सं०-1- झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद के लिए प्रस्तावित रिंग रोड के लिए मौजा-धनबाद से संबंधित भू-अर्जन अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख के आदेशफलक के पृष्ठ-10 पर भूमि के लिए साधारण प्रक्रिया के तहत धारा-7 की कार्रवाई की स्वीकृति तत्कालीन उपायुक्त से दिनांक 26.07.2011 को प्राप्त की गयी है। मौजा-धनबाद के अभिलेख के आदेशफलक के पृष्ठ 12-16 के अवलोकन से विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2011, 24.06.2011 एवं 18.07.2011 को रैयतो को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया। इसके उपरांत आरोपित पदाधिकारी द्वारा 18.07.2011, 27.07.2011, 29.08.2011, 05.09.2011, 12.09.2011, 08.10.2011, 29.10.2011, 25.11.2011, 29.11.2011 को भुगतान की कार्रवाई की गयी है। दिनांक 22.12.2011 को सरकार को प्राक्कलन स्वीकृत्यार्थ भेजा गया है। इसके उपरांत 01.03.2012, 23.05.2012, 11.08.2012 तथा 03.11.2012 को भी भुगतान की कार्रवाई की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा वगैर नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किए

निहितार्थ भाव से मनमानीपूर्वक भुगतान की कार्रवाई की गयी है तथा अभिलेख के संधारण में भी गड़बड़ी की गयी है।

आरोप सं०-2- बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक-67 दिनांक 21.02.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार 39 ऐसे मामले हैं जिसमें प्रस्तावित भूमि अर्जन से संबंधित भूमि का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन कर भूमि का हस्तांतरण किया गया है। इसे नजर अंदाज कर आरोपित पदाधिकारी द्वारा मुआवजा का भुगतान किया गया है, जो उनकी कर्तव्यहीनता को दर्शाता है।

आरोप सं०-3- श्री राम कुमार गुप्ता, श्रीमती सुषमा प्रसाद, श्री संतोष कुमार कर्ण, सुमेश्वर शर्मा, सिद्धनाथ शर्मा द्वारा भू-अर्जन अधिसूचना के उपरांत भूमि का क्रय किया गया। श्रीमती सुषमा प्रसाद को दिनांक 08.11.2011 को क्रय की गयी भूमि के लिए 25.11.2011 को, श्री संतोष कुमार कर्ण को दिनांक 23.12.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरुद्ध दिनांक 03.01.2012, दिनांक 01.10.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरुद्ध 29.10.2011 को, 24.02.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरुद्ध 29.10.2011 को तथा 16.11.2011 को निबंधित दस्तावेज के विरुद्ध 25.11.2011 को बिना वांछित प्रक्रिया को सुनिश्चित कराये मुआवजा का भुगतान किया गया। इसी प्रकार श्री सिद्धार्थ शर्मा, सुमेश्वर शर्मा को भी कई मामले में निबंधन के मात्र चन्द दिनों के बाद ही मुआवजा का भुगतान किया गया है। इससे विदित होता है कि इन मामलों में दाखिल खारिज की स्वीकृति का भी इन्तजार नहीं किया गया है, जो किसी भी रैयत के भूमि पर वास्तविक दखलकार होने का प्रमाण होता है। इससे विदित होता है, साथ ही सभी भुगतान के मामले में रैयतों की पहचान एक ही अधिवक्ता, जिनका इनरोलमेन्ट संख्या 726/02 है, से ही करायी गयी। इससे मिलीभगत कर निहितार्थ भाव से लापरवाहीपूर्वक भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं०-4- नोटिस के तामिला के संबंध में जाँच दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इसकी मात्र औपचारिकता निभायी गयी है। जिन भू-धारियों को नोटिस का तामिला किया गया उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया। भूमि के क्रय करने पर विधिवत् सूचना निर्गत नहीं कर सीधे मुआवजा का भुगतान किया गया। मौजा दुहाटांड में आदिवासी रैयतों को अधिसूचना का तामिला की जिम्मेवारी श्री दुर्गा प्रसाद रजवार, अनुसेवक को दी गयी। 33 में से मात्र 10 का तामिला कराया गया वह भी संबंधित रैयतों को प्राप्त नहीं कराया गया। इस अभिलेख पर अमीन रघुनाथ ठाकुर, कानूनगो श्री मिथिलेश कुमार एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी श्री लाल मोहन नायक का हस्ताक्षर है। धारा-9 से संबंधित नोटिस के तामिला की जिम्मेवारी श्री श्यामदेव नाग, अनुसेवक को दी गई थी। प्रतिवेदन में यह भी लिखा गया है कि सभी मुआवजा भुगतान करने वालों की पहचान एक ही अधिवक्ता द्वारा की गयी है जिनका इनरोलमेन्ट संख्या 726/02 है। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा पूरी कार्रवाई आपसी मिलीभगत से निजी स्वार्थसिद्धि की नीयत से की गयी है।

आरोप सं०-5- जाँच प्रतिवेदन से विदित होता है कि मौजा मनईटांड के खाता संख्या-53, प्लॉट संख्या-312, रकवा 27 डिसमिल भूमि श्री विनोद महतो की है। श्री सुमेश्वर शर्मा ने श्री विनोद महतो के चार पुत्रों में से मात्र एक पुत्र श्री शिबू महतो से 04 डिसमिल भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या-16304 दिनांक 19.12.2011 द्वारा क्रय कर दिनांक 23.05.2012 को मुआवजा का भुगतान प्राप्त किया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि श्री विनोद महतो द्वारा मुआवजा भुगतान के पूर्व ही आपत्ति आवेदन तत्कालीन उपायुक्त को समर्पित किया गया था, जिसे प्रभारी पदाधिकारी, जन-शिकायत कोषांग, धनबाद ने अपने पत्र संख्या-1873 दिनांक 27.12.2011

द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया। इस मामले में श्री सुमेश्वर शर्मा ने जानबूझ कर पिता के जीवित रहते उनके पुत्र से भूमि अनियमित रूप से क्रय की तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा आपत्ति आवेदन को नजरअंदाज कर भुगतान की कार्रवाई की। विनोद महतो की मृत्यु दिनांक 22.04.2012 को हुई है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त भूमि साहेब राम महतो के नाम से खतियान में दर्ज 6.20 3/4 एकड़ भूमि का अंश है। खतियानी रैयत के वंशज श्री विनोद महतो द्वारा उक्त संपूर्ण भूमि के लिए दिनांक 12.12.2011 को लगान का भुगतान कर रसीद प्राप्त किया गया है, जिसकी संख्या- 6085779 है। उक्त जमाबन्दी से वगैर भूमि को खारिज किये श्री सुमेश्वर शर्मा द्वारा क्रय की गयी भूमि के लिए भी दाखिल खारिज वाद संख्या-3085(III) दिनांक 20.11.2012 के आलोक में राजस्व कर्मचारी द्वारा लगान रसीद संख्या-6089224 दिनांक 06.12.2012 को निर्गत किया गया है। इस प्रकार जाँच दल के अनुसार एक ही भूमि के लिए दो लगान रसीद श्री सुरेन्द्र प्रसाद, राजस्व कर्मचारी द्वारा निर्गत की गयी। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा जानबूझ कर अनियमित भू-हस्तांतरण के आधार पर गलत मंशा से सभी नियम, प्रावधानों एवं आपत्ति की अनदेखी करते हुए भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं०-6- मौजा-धनबाद के खाता संख्या-29 प्लॉट संख्या 1508, 1514, 1516 तथा 1517 रकबा 20.05 डिसमिल भूमि गोपाल महतो से श्री सिद्धार्थ शर्मा, अनील कुमार एवं संतोष कुमार कर्ण ने संयुक्त रूप से दस्तावेज संख्या 14292 दिनांक 24.10.2011 द्वारा क्रय किया। डीड संख्या-16060 दिनांक 14.12.2011 द्वारा खाता संख्या 83, प्लॉट संख्या-2655 रकबा 05 डिसमिल श्री सुरज कुमार से श्री सिद्धार्थ शर्मा एवं तनुजा सिंह द्वारा संयुक्त रूप से क्रय किया गया। इसी प्रकार अन्य चार डीड के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि का क्रय कर मुआवजा प्राप्त किया गया। जाँच दल का अभिमत है कि अधिसूचना के उपरांत एक गिरोह द्वारा साजिशपूर्वक जमीन क्रय किया गया। इससे विदित होता है कि इसमें आरोपित पदाधिकारी की पूरी संलिप्तता थी अन्यथा नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा भुगतान की कार्रवाई नहीं की जाती।

आरोप सं०-7- बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्र संख्या 409II, दिनांक 31.12.2014 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री नरसिंह दास, पिता-दशरथ दास को मौजा धनबाद के खाता संख्या-121, प्लॉट संख्या-1630, रकबा-34 डिसमिल भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि को दस्तावेज संख्या-12591, दिनांक 27.08.2011 द्वारा श्री विश्वनाथ शर्मा, पिता- यमुना शर्मा को बिक्री किया गया। इसके उपरांत भी 03 अलग-अलग किस्तों में पंचाट तैयार कर भुगतान किया गया। श्री दास को कुल 1,37,08,800/- रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया। भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। श्री नरसिंह दास द्वारा बिक्री की गयी भूमि का मुआवजा श्री विश्वनाथ शर्मा को किया गया है। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा मिलीभगत कर निहित स्वार्थवश मनमानी कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं०-8- श्रीमती तुलिया देवी को ग्राम मनईटांड के खाता संख्या 34, प्लॉट संख्या 555 एवं 589 के लिए 1.152 करोड़ रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया। श्री दीप कुमार साव पिता-जयराम साव ने उक्त भूमि पर खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी होने के नाते दिनांक 07.12.2011 को दावा किया। जाँच दल का कथन है कि श्री साव के पास संबंधित भूमि के दावा से संबंधित कागजात उपलब्ध है। तुलिया देवी को खतियानी रैयत अथवा उनके उत्तराधिकारी द्वारा प्रश्नगत भूमि नहीं बेची गयी है। भुगतान करने के पूर्व इस विवाद का निस्तार सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद ने अपने ज्ञापांक 699 दिनांक

13.10.2014 द्वारा श्रीमती तुलिया देवी को मुआवजा की राशि वापस करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा गलत भुगतान की कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं०-9- बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद के पत्र संख्या 409(II) दिनांक 31.12.2014 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री नरसिंह दास, पिता दशरथ दास को मौजा धनबाद के खाता संख्या-121 प्लॉट संख्या-1630 रकवा 34 डिसमिल भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उक्त भूमि को दस्तावेज संख्या 12591 दिनांक 27.08.2011 द्वारा श्री विश्वनाथ शर्मा, पिता यमुना शर्मा को बिक्री किया गया। इसके उपरांत भी 03 अलग-अलग किस्तों में पंचाट तैयार कर भुगतान किया गया। श्री दास को कुल 1,37,08,800/- रुपये मुआवजा का भुगतान किया गया। भुगतान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। श्री नरसिंह दास द्वारा बिक्री की गयी भूमि के मुआवजा का भुगतान श्री विश्वनाथ शर्मा को किया गया है। बिना नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किये आरोपित पदाधिकारी द्वारा निहितार्थ भाव से भुगतान की कार्रवाई की गयी।

आरोप सं०-10- श्रीमती तुलिया देवी को मौजा मनईटांड के खाता संख्या 34, प्लॉट संख्या 589 तथा मौजा-धनबाद (58) के लिए मुआवजा का भुगतान किया गया है, जिस पर श्री अजित कुमार पिता श्याम प्रसाद सिंह, ग्राम मनईटांड द्वारा दावा किया जा रहा है। इस दावा के निस्तार की स्थिति अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होती है। श्री कुमार के आवेदन पर कार्रवाई सुनिश्चित किये बिना तथा अपेक्षित नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किये बिना आरोपी पदाधिकारी द्वारा गलत मंशा से भुगतान की कार्रवाई की गई है।

आरोप सं०-11- अपर समाहर्ता, आपूर्ति, धनबाद से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री भोला सिंह को 20 डिसमिल भूमि के बदले 28 डिसमिल भूमि के लिए मुआवजा भुगतान के संबंध में लिखा गया है कि प्रस्तुत केवाला संख्या 25510 दिनांक 27.10.1970 के अनुसार मौजा दुहाटांड के खाता संख्या-89, प्लॉट संख्या 901, रकवा 28 डिसमिल के लिए मुआवजा का भुगतान भोला सिंह को किया गया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त दस्तावेज के आधार पर 20 डिसमिल भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या-2711(3)2011-12 द्वारा स्वीकृत हुआ है। आरोपकर्ता के अनुसार प्रश्नगत दस्तावेज फर्जी है जिस संबंध में जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि भू-अर्जन कार्यालय द्वारा संबंधित दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। दाखिल खारिज के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। प्रथम द्रष्टव्य भुगतान में अनियमितता हुई है। इसके लिए आरोपित पदाधिकारी पूरी तरह जिम्मेवार हैं।

आरोप सं०-12- आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिना प्राक्कलन स्वीकृति के बिना कैम्प लगाये, बिना उचित पहचान के मनमाने ढंग से 80 करोड़ का भुगतान करने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि रैयतों को मुआवजा का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से फार्म 252 पर स्थानीय वकील की पहचान पर किया गया है। भुगतान की कार्रवाई कैम्प लगाकर नहीं किया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा मंतव्य में लिखा गया है कि भू-अर्जन अधिनियम की धारा 17 में विशेष परिस्थिति में भूमि का दखल कब्जा लेने का प्रावधान है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र संख्या 854/रा0 दिनांक 15.12.2012 के द्वारा जे0आर0डी0ए0 से संबंधित भू-अर्जन मामलों में विशेष परिस्थिति में भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11(2) तथा झारखण्ड स्वैच्छिक भू-अर्जन नियमावली 2010 के कंडिका 3(क) के तहत प्रभावित रैयतों से सहमति पत्र प्राप्त कर उचित मुआवजा भुगतान करने का निदेश दिया गया था। इस के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के कृत्य को उचित नहीं माना जा सकता

है, क्योंकि सरकार के उक्त आदेश के प्राप्त होने के पूर्व से ही बगैर प्राक्कलन की स्वीकृति भुगतान की कार्रवाई भूमि का बगैर भौतिक दखल प्राप्त किये मनमानीपूर्वक की गयी। यह केवल उनकी लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को ही नहीं दर्शाता है अपितु लोक राशि का जानबूझ कर गलत मंशा से दुरुपयोग करने का भी आरोप उन पर बनता है।

आरोप सं०-13- मौजा तिलाटांड, बाघमारा अंचल अन्तर्गत भू-अर्जन की अधिसूचना दिनांक 08.08.2014 को वापस की गयी है एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुरूप प्रस्ताव की माँग की गयी है। ग्राम तिलाटांड में भू-अर्जन की नयी प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, परन्तु पूर्व में प्रारंभ किये गये एल0ए0 केस नम्बर 6/2010-11 में कुल 24 रैयतों का एवार्ड तैयार कर मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। श्री श्यामलाल हांसदा पिता सोमरा हांसदा को चेक संख्या 648537 दिनांक 18.05.2013 द्वारा एकान्त पेयी चेक से 3,00,32,290.00 रुपये का भुगतान किया गया है। श्री श्यामलाल हांसदा को वास्तविक भुगतान नहीं हुआ है। इससे विदित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा निजी स्वार्थसिद्धि की नीयत से नियमों एवं प्रक्रियाओं का बगैर पालन किए अनियमित भुगतान की कार्रवाई की गयी है।

आरोप सं०-14- जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि श्री गणेश मुर्मू, पिता टीकाराम मुर्मू, श्री रशिक मुर्मू, श्री देवराज मुर्मू, श्री सीताराम मराण्डी, श्री जयदेव मांझी, श्री श्याम लाल हांसदा तथा श्री गणेश टुडू को भुगतान की गयी मुआवजा की राशि उनके जोरापोखर पैक्स खोले गये खाता में जमा किया गया। संबंधित आदिवासी रैयतों का कथन है कि उन्हें मुआवजा की संपूर्ण राशि नहीं दी गयी तथा कुछ बिचौलिये के द्वारा उनकी राशि की निकासी कर ली गयी। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि मुआवजा से संबंधित चेक के क्लीयरेन्स होकर संबंधित खाताधारी के खाता में राशि जमा होने के पूर्व ही शाखा प्रबंधक, जोरापोखर पैक्स, धनसार द्वारा ओ०डी० के रूप में राशि का भुगतान कर दिया गया। बगैर नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किए आरोपित पदाधिकारी द्वारा भुगतान की कार्रवाई किये जाने से विदित होता है कि इस हेराफेरी में उनकी सहभागिता रही है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4531, दिनांक 20.05.2015 द्वारा श्री नायक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, परंतु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। अतः विभागीय संकल्प संख्या-7842, दिनांक-28.08.2015 द्वारा श्री नायक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। बाद में, श्री सिन्हा के स्थान पर श्री एहतेशामुल हक, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः विभागीय संकल्प संख्या-7840, दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्री हक के स्थान पर श्री विनोद कुमार झा, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-54, दिनांक 14.02.2017 द्वारा श्री नायक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री नायक के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित कुल 14 आरोपों में से आरोप सं०-2 एवं 13 को छोड़कर 12 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री नायक के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत इनके पेंशन से 50 (पचास) प्रतिशत राशि की कटौती करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, विभागीय पत्रांक-9570, दिनांक-31.12.2018 द्वारा श्री नायक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री नायक के पत्र, दिनांक-22.05.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

श्री नायक के विरुद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा प्रमाणित आरोपों के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया गया। समीक्षोपरांत, श्री नायक द्वारा समर्पित द्वितीय कारण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) राशि की कटौती करने का निर्णय लिया गया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, विभागीय पत्रांक-5532, दिनांक 12.07.2019 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से उक्त दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-3380, दिनांक 15.10.2019 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः श्री लाल मोहन नायक, तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के विरुद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत इनके पेंशन से 50% (पचास प्रतिशत) की राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
